B.A II Hons

शोषण के विरुद्ध अधिकार

×

शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य है कि समाज का कोई शक्तिशाली वर्ग किसी कमजोर वर्ग पर अन्याय न कर सके। देश के सारे व्यक्तियो को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तथा धार्मिक क्षेत्र मे उचित स्थान दिलाने तथा न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान मे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मे निम्न अधिकार सम्मिलित है —

(i) मनुष्य के क्रय - विक्रय का अन्त — संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अनुसार, व्यक्तियों के क्रय - विक्रय का पूर्ण रूप से अन्त कर दिया गया है। जो भी मनुष्य का क्रय - विक्रय करेगा वह दण्ड का भागी होगा। भारत मे बहुत पहले दास - दासियों का क्रय - विक्रय होता रहा है। प्रो. के० टी० शाह ने संविधान सभा मे कहा था — "मानवीय व्यापार से मेरा अभिप्राय चल सम्पत्ति की तरह इनको रखीदने तथा बेचने से है इसलिए इसको मनाही होनी चाहिए अतः इसे अन्त कर दिया गया।

Scanned with CamScanner

(ii) बेगार तथा बलपूर्वक कार्य कराने का अन्त — संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार बिना मजदूरी दिये काम करवाना तथा जबरदस्ती काम करवाने का पूर्ण रूप से अन्त कर दिया गया।

(iii) बाल श्रम निषेध — संविधान के 24वे अनुच्छेद में यह दिया गया है कि 14 वर्ष तक के तथा इससे कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने या खान में नौकर नहीं रखा जा सकता उससे ऐसा कोई कठोर कार्य नहीं कराया जा सकता जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। अतः बालको को शोषण से बचाने के लिए संविधान की इस व्यवस्था का बड़ा ही महत्व है।

(iv) स्त्रियों को शोषण से मुक्ति — बालको के साथ-साथ स्त्रियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है स्त्रियों को पुरुषों के समान सुविधाएँ दी जाये तथा उनसे कोई ऐसा कार्य न कराया जाय जिसका

Scanned with CamScanner

असर उनके स्वास्थ्य पर पड़े। अतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखना है तथा देश में समाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1976 में बन्धुआ मजदूरी को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार — संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 तथा 28 वे अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है।

(i) धार्मिक आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता — संविधान के अनु० 25 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने तथा धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(ii) राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं — राज्य धर्म के मामलों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का कोई निजी धर्म नहीं होगा, वह सभी

धर्मों के मानने वाले को समान स्थान देगा।

(iii) धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता —— संविधान के अनु० 26 के अनुसार, प्रत्येक धर्मावलम्बी को यह अधिकार है कि वह धार्मिक संस्थाओं, दान, सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। उनकी देखभाल कर सकता।

(iv) शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा —— संविधान के अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है कि जो शिक्षण संस्थाएँ गैर सरकारी है जिनको राज्य से मान्यता प्राप्त नहीं है उनमे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन किसी भी छात्र को किसी विशेष धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

(v) धार्मिक सम्पति कर से मुक्त —— संविधान के अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो सम्पति एकत्रित की जाती है उस पर कर नहीं लगायेगा।

Dr. Khushboo